REGD, NO. D. L.-33004/99

Angla Isana The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜੋ, 2012] No. 2012] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2013/भाद्र 5, 1935 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2013/BHADRA 5, 1935

वाणिज्यं और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 आंग्स्त, 2013

का,आ, 2615(अ),—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बासमती चावल का निर्यात (ववालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2013 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- बासमती चावल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 में,— .
 - (1) नियम 2 के खंड (घ), के उप-खंड 3 में पैस 2, स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा;
 - (2) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 ''स्पष्टीकरण 4—चावल की सभी अधिसूचित किस्मों को बासमती चावल बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) के उपबंधों के अधीन बासमती चावल के रूप में अधिसूचित चावल की सभी किस्मों बासमती चावल की किस्मों के रूप में मानी जाएंगी।''

[फा. सं. 2/39/2012-नियति निरीक्षण]

ए, के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में, संख्यांक का.आ. 68(अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन संख्यांक का.आ. 1139 तारीख 15 मई, 2004, संख्यांक का.आ. 716 तारीख 5 मार्च, 2005 और संख्यांक का. आ. 791(अ) तारीख 24 मई, 2006 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2013

S.O. 2615 (E).— In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection)

Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Basmati

Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, namely:—

- (1) These rules may be called the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003—
 - (i) In rule 2, in sub-clause (d), in sub-clause (lii), paragraph 2, Explanation 1 and Explanation 2 shall be omitted;
 - (ii) after Explanation 3, the following Explanation shall be inserted, namely :--

"Explanation 4.—All varieties of rice notified as Basmati under the provisions of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) shall be considered as varieties of Basmati rice".

[F. No. 2/39/2012-Export Inspection]
ASIT TRIPATHY, Jt. Secy.

Note. — The principal rules were published in the Gazette of India, vide number S.O. 68(E), dated the 23rd January, 2003 and subsequently amended vide number S.O. 1139, dated the 15th May, 2004, S.O. 716, dated the 5th March, 2005 and S.O. 791(E), dated the 24th May, 2006.